भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1484

उत्तर देने की तारीख – 09/12/2025

राष्ट्रीय सुलभता एवं सहायक-तकनीक मिशन

1484. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए वास्तविक "पूर्ण समावेशन" सुनिश्चित करने के लिए "राष्ट्रीय सुलभता एवं सहायक तकनीक मिशन" शुरू करने पर विचार किया है, जिसके तहत सार्वभौमिक डिजाइन मानदंड़ों के साथ अनिवार्य अनुपालन, एआई-आधारित सहायक उपकरणों की सामर्थ्य, विकलांगता से जुड़ा डिजिटल समावेशन सूचकांक, सुलभ सार्वजनिक अवसंरचना ऑडिट और रोजगार क्षेत्र में विकलांगता-समायोजित उत्पादकता मानदंड़ों जैसे संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के लिए एक समयबद्ध राष्ट्रीय योजना तैयार की जा सकती है;

(ख) यदि हाँ; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी केन्द्रीय और राज्य योजनाओं में विकलांगता प्रभाव आकलन को अनिवार्य बनाने पर विचार किया है, ताकि नीतियों को उक्त योजना के आरंभ से, दिव्यांगजनों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (घ): वर्तमान में, राष्ट्रीय सुगम्यता और सहायक-तकनीक मिशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। विभाग पहले से विभिन्न योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है जैसे कि बाधामुक्त अवसंरचना, "बाधा मुक्त वातावरण के निर्माणकी योजना (CBFE)",सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)और परिवहन सुगम्यता के लिए सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिपयोजना), आधुनिक तकनीक पर आधारित सहायक यंत्रों/उपकरणों के वितरण के लिए एडिपयोजना आदि।

साथ ही 'राज्य में निहित या राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निर्माण कार्य, भूमि और भवन' राज्य सूची का विषय है, और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 41, 44 और 45 के अनुसार, समुचित सरकार दिव्यांगजनोंके लिए सुगम्य निर्मित अवसंरचना, परिवहन प्रणालियों और सुगम्यआईसीटी सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने के लिए और नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण/मूल्यांकन करने के लिए भी ज़िम्मेदार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न योजनाएँ सुगम्यता आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। विभाग द्वारा लागू योजनाओं की निरंतरता के लिए, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में, विभाग में दिव्यांगजनों के लिए परिणामों की प्रभावकारिता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पाँच वर्ष में विभाग द्वारा संचालित सभी केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं का तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

*****